क्रमांक-3

मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 2016 (फाल्गुन 6, शक सम्वत् 1937)

विधान सभा पूर्वाह्न 10:32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 15 प्रश्नों (प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एवं 16) पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये. प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 134 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 143 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे.

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की जिला भिण्ड के ग्राम सुन्दरपुरा में शासकीय भूमि पर कब्जा किये जाने एवं

(2) श्री आरिफ अकील, सदस्य की भोपाल के हमीदिया अस्पताल प्रबन्धन एवं आर्यन सिक्युरिटी सर्विस भोपाल की मिली भगत से वित्तीय हानि होने संबंधी सूचनाएं उनके अनुरोध पर पढ़ी हुई मानी गईं. शेष सूचनाएं -

(3) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य), सदस्य ने इंदौर के थानों में लावारिस गाड़ियों का निराकरण न होने,

(4) श्री सत्यपाल सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना के ग्राम खुलावली की नहर में एक व्यक्ति की डूबने से मृत्यु होने,

(5) डॉ. रामकिशोर दोगने, सदस्य ने खाचरोद बड़नगर तहसील में ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों की भूमि पर नियम विरूद्ध रास्ते का निर्माण किये जाने,

(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य ने इंदौर उज्जैन संभाग में सुरक्षा कंपनियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों का शोषण किये जाने,

(7) श्री दिलीप सिंह शेखावत, सदस्य ने प्रदेश शासन द्वारा हितग्राहियों को दी जा रही पेंशन राशि में बढ़ोतरी किये जाने,

(8) श्री विष्णु खत्री, सदस्य ने बैरसिया स्थित ठाकुरलाल सिंह हायर सेकेण्डरी स्कूल में अव्यवस्था होने तथा

(9) श्री आर.डी. प्रजापति, सदस्य ने छतरपुर जिले के चंदला क्षेत्र में सूखे के कारण लोगों का पलायन होने,
सम्बन्धी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की गईं.

3. शून्यकाल में उल्लेख

ग्वालियर के बाल भवन में अम्बेडकर मंच द्वारा आयोजित गोष्ठी में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला किया जाना

डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य द्वारा दिनांक 21 फरवरी, 2016 को ग्वालियर के बाल भवन में अम्बेडकर मंच द्वारा आयोजित गोष्ठी में असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करना और दिल्ली से आये JNU के प्रोफेसर के साथ विद्यार्थी परिषद् और बजरंग दल के लोगों द्वारा पीटे जाने का उल्लेख किया गया.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री जयंत मलैया, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश वित्त निगम का 60 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2014-2015 पटल पर रखा.

(2) सुश्री कुसुम सिंह महदेले, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के वार्षिक लेखे वित्त वर्ष 1997-98 से 2012-13 तक पटल पर रखे.

(3) श्री उमाशंकर गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.) का 46 वां प्रगति प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(4) श्री राजेन्द्र शुक्ल, खनिज साधन मंत्री ने दि म.प्र.स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल का 51 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2013-14 पटल पर रखा.

(5) श्री लाल सिंह आर्य, राज्यमंत्री नर्मदा घाटी विकास ने एन.एच.डी.सी. लिमिटेड की 15 वीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2014-15 पटल पर रखी.

5. दिसम्बर, 2015 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2015 सत्र निर्धारित अवधि के पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों की प्रश्नोत्तरी तथा इसी सत्र के प्रश्नों के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर खण्ड 6 का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

6. नियम 267-क के अधीन दिसम्बर, 2015 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना.

अध्यक्ष महोदय ने दिसम्बर, 2015 सत्र में नियम 267-क के अधीन पढ़ी गयी सूचनाओं तथा उनके शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन सदन के पटल पर रखे जाने की घोषणा की.

7. राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 11 विधेयकों को माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई हैं, जिनके नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं. इन विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :--

क्र.	राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त विधेयक	अधिनियम क्रमांक
(1)	मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-6) विधेयक, 2015 (क्रमांक 18 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2015)
(2)	मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 15 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2015)
(3)	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 16 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 1सन् 2016)
(4)	डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, 2015 (क्रमांक 20 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2016)
(5)	मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 17 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2016)
(6)	मध्यप्रदेश वेट (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 21 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2016)
(7)	मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 22 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2016)
(8)	भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 23 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 6 सन् 2016)
(9)	मध्यप्रदेश कृषि-उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 14 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 7 सन् 2016)
(10)	मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) विधेयक,2015 (क्रमांक 24 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2016)
(11)	मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2015 (क्रमांक 19 सन् 2015)	(अधिनियम क्रमांक 9 सन् 2016)

8. ध्यान आकर्षण

(1) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा, सदस्य ने अशोक नगर जिले के अनेक ग्रामों में भू-जल स्तर गिरने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित किया.

सुश्री कुसुम सिंह महदेले, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया.

(2) सर्वश्री कैलाश चावला तथा जगदीश देवड़ा, सदस्य की मंदसौर जिले में सूखा पीड़ित कृषकों को मुआवजा राशि का वितरण न किये जाने संबंधी ध्यानाकर्षण की सूचना उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नहीं हो सकी.

9. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 9-अटेर से निर्वाचित सदस्य, श्री सत्यदेव कटारे तथा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 216-उज्जैन-उत्तर से निर्वाचित सदस्य, श्री पारस चन्द्र जैन को विधान सभा के फरवरी-अप्रैल, 2016 सत्र की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई.

10. श्री रमेश पटेल, सदस्य को न्यायिक निरोध में केन्द्रीय जेल, बड़वानी में दाखिल करने संबंधी सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र क्रमांक -90 (अ.ज.जा.) से निर्वाचित सदस्य श्री रमेश पटेल को दिनांक 2 फरवरी, 2016 को न्यायिक निरोध में केन्द्रीय जेल बड़वानी में दाखिल होने की सूचना जेल उप महानिरीक्षक (विधि) मध्यप्रदेश की ओर से प्राप्त हुई है. उनकी ओर से प्राप्त पत्र इस प्रकार है :-

"विधान सभा क्षेत्र क्रमांक-190 (अनुसूचित जनजाति) बड़वानी के वर्तमान विधायक श्री रमेश पटेल, पुत्र-चैनसिंह पटेल, उम्र-40 वर्ष जाति बारेला, निवासी ग्राम-सुस्ती खेड़ा, थाना-सिलावद, जिला बड़वानी के होकर माननीय विशेष न्यायालय बड़वानी के प्रकरण क्रमांक-15/10 वारंट जारी दिनांक 2.2.2016 अपराध धारा 366, 376, 506 भादवि 3 (2), 5 (1) 11 एस.सी.एस.टी. एक्ट के तहत दिनांक 2.2.2016 को अपराह्न 5.30 बजे न्यायिक निरोध में केन्द्रीय जेल बड़वानी में प्रविष्ट हुए हैं".

11. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 9 के उपनियम (1) के अधीन, निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम निर्दिष्ट किया गया:-

(1) श्री कैलाश चावला
(2) श्री ओमप्रकाश वीरेन्द्र कुमार सखलेचा
(3) श्रीमती अर्चना चिटनिस
(4) श्री केदारनाथ शुक्ल
(5) श्री रामनिवास रावत
(6) डॉ. गोविन्द सिंह

12. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

(1) श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का नवम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2016 को चर्चा के लिए आने वाले गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार करके अशासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिये निम्नलिखित समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :--

क्रमांक	अशासकीय संकल्प क्रमांक	माननीय सदस्य	निर्धारित समय
1.	क्रमांक – 6	श्री दुर्गालाल विजय	30 मिनट
2.	क्रमांक – 11	कुंवर विक्रम सिंह	30 मिनट
3.	क्रमांक – 13	श्री सुदेश राय	30 मिनट
4.	क्रमांक – 19	श्री दिव्यराज सिंह	30 मिनट
5.	क्रमांक – 21	श्रीमती शकुन्तला खटीक	30 मिनट

श्री रामप्यारे कुलस्ते, सभापति ने प्रस्ताव किया कि सदन गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी के नवम् प्रतिवेदन से सहमत है.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

(2) श्री केदारनाथ शुक्ल, सभापति ने याचिका समिति का अठारहवां से उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.
(3) श्री शंकरलाल तिवारी, सभापति ने प्रत्यायुक्त विधान समिति का षष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत किया.

13. याचिकाओं की प्रस्तुति

दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों द्वारा याचिकाएं प्रस्तुत की गई :-

(1) श्री सुन्दर लाल तिवारी (जिला-रीवा)
(2) कुँवर सौरभ सिंह (जिला-कटनी)
(3) श्री शैलेन्द्र पटेल (जिला-सीहोर)
(4) श्री चम्पालाल देवड़ा (जिला-देवास)
(5) श्री वीर सिंह पवार (जिला-विदिशा)
(6) श्री गोविन्द सिंह पटेल (जिला-नरसिंहपुर)
(7) श्रीमती चंदा सुरेन्द्र सिंह गौर (जिला-टीकमगढ़)
(9) श्री सूबेदार सिंह रजौधा (जिला-मुरैना)
(10) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया (जिला-मंदसौर)
(11) श्री प्रदीप अग्रवाल (जिला-दतिया)
(12) श्री सुखेन्द्र सिंह (जिला-रीवा)
(13) श्रीमती ममता मीना (जिला-गुना)

14. मंत्री का वक्तव्य

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने दिनांक 15 दिसम्बर, 2015 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 1 (क्रमांक 2268) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया.

15. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

दिनांक 23 फरवरी, 2016 को माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत, कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने प्रारम्भिक भाषण दिया :-

"राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास माननीय सदस्यों के 2944 संशोधनों की सूचनाएं प्राप्त हुई है. उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य किया गया है। तदनुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित 30 माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्रमांक	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	1
(2)	डॉ. रामकिशोर दोगने	2
(3)	श्री आरिफ अकील	3
(4)	श्री दिनेश राय	4
(5)	श्री रामपाल सिंह (ब्यौहारी)	5
(6)	श्री सुखेन्द्र सिंह	6
(7)	श्री जितू पटवारी	7
(8)	श्रीमती ऊषा चौधरी	8
(9)	श्री नीलेश अवस्थी	9
(10)	श्री बाला बच्चन, प्रभारी नेता प्रतिपक्ष	10
(11)	श्री रामनिवास रावत	11
(12)	श्री मुकेश नायक	12
(13)	श्रीमती शीला त्यागी	13
(14)	श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल	14
(15)	श्री फुन्देलाल सिंह मार्को	15
(16)	श्रीमती झूमा सोलंकी	16
(17)	श्री कमलेश्वर पटेल	17
(18)	श्री योगेन्द्र सिंह	18
(19)	एडव्होकेट सत्यप्रकाश सखवार	19
(20)	श्री सचिन यादव	20
(21)	श्री निशंक कुमार जैन	21
(22)	श्री गिरीश भण्डारी	22
(23)	श्री विजय सिंह सोलंकी	23
(24)	श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया	24
(25)	श्री बहादुर सिंह चौहान	25
(26)	श्रीमती सरस्वती सिंह	26
(27)	डॉ. गोविन्द सिंह	27
(28)	श्रीमती चन्दा सुरेन्द्र सिंह गौर	28
(29)	श्री शैलेन्द्र पटेल	29
(30)	श्री हर्ष यादव	30

तत्पश्चात् कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भी भाग लिया:-

उपाध्यक्ष महोदय (डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंह) पीठासीन हुए.

(1) श्री शंकरलाल तिवारी

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया

(मध्याह्न 12.58 से अपराह्न 2.38 बजे तक अन्तराल)

सभापति महोदय (श्री केदारनाथ शुक्ल) पीठासीन हुए.

(3) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(4) श्री बहादुर सिंह चौहान
(5) श्री जयवर्द्धन सिंह
(6) श्री पुष्पेन्द्रनाथ पाठक
(7) श्री शैलेन्द्र पटेल

(8) श्री दुर्गालाल विजय
(9) श्री हरदीप सिंह डंग
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता (आर्य)
(11) श्रीमती शीला त्यागी
(12) श्री दिनेश राय

सभापति महोदय (श्री रामनिवास रावत) पीठासीन हुए.

(13) श्री गोपाल परमार
(14) डॉ. रामकिशोर दोगने

अध्यक्ष महोदय (डॉ. सीतासरन शर्मा) पीठासीन हुए.

(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी, 2016 (7 फाल्गुन, शक सम्वत् 1937) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

भगवानदेव ईसरानी,
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल:
दिनांक: 25 फरवरी, 2016